भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2705

उत्तर देने की तारीख 22.12.2022

एमएसएमई क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव

2705. श्रीमती वीणा देवी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई पर जीएसटी के दुष्प्रभाव कम करने तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस वैकल्पिक नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) एवं (ख): इस मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) एवं (घ): सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जीएसटी के संबंध में कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 40 लाख रु. के कारोबार की सीमा तक जीएसटीआईएन की किसी आवश्यकता का प्रावधान नहीं किया गया है।

ii) एक वर्ष में 20 लाख रु. (मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए 10 लाख रु.)
तक की सेवाओं की राज्य और अत: राज्य आपूर्ति के लिए पंजीकरण की कोई आवश्यक नहीं है।

iii) दिनांक 01.04.2019 से एक वर्ष में 40 लाख रू. (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 20 लाख रु.) तक की वस्तुओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

iv) वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता और रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के नाते छोटे व्यवसायियों के लिए संयुक्त स्कीम तैयार की गई है। स्कीम के अन्तर्गत, 1.5 करोड़ रु. (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 75 लाख रुपये) तक के कारोबार वाले व्यक्ति को अपने कारोबार पर 1% (वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में) या 5% (रेस्तरां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के मामले में) के बराबर कर का भुगतान करने और त्रैमासिक कर भुगतान के साथ अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल करने की जरूरत है। ऐसे करदाताओं को विस्तृत खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है और मासिक विवरणी और विवरणी के स्थान पर उन्हें तिमाही चालान और वार्षिक आधार पर केवल एक विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

v) वित्तीय वर्ष 2019- 2020 से सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए भी संयुक्त स्कीम तैयार की गई है।

स्कीम के अन्तर्गत, 50 लाख रुपये तक के कारोबार वाले व्यक्ति को अपने कारोबार पर 6% के बराबर कर का भुगतान करने की आवश्यकता है और त्रैमासिक कर भुगतान के साथ वार्षिक रूप से अपनी विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है।

vi) क्यूआरएमपी (तिमाही विवरणी, मासिक भुगतान) स्कीम: क्यूआरएमपी स्कीम 01.01.2021 से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पांच (5) करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों को मासिक कर भुगतान के साथ तिमाही आधार पर विवरणी दाखिल करने की अनुमति है। इससे ऐसे करदाताओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत अनुपालन उत्तरदायित्व में काफी कमी आई है। करदाताओं को साल भर स्कीम में आसानी से शामिल होने और बाहर निकलने की सुविधा भी दी गई है। तिमाही के पहले दो महीनों में, करदाताओं के पास एक निश्चित राशि के स्वतः-जनित चालान के माध्यम से कर का भुगतान करने का विकल्प होता है। करदाता चुनिंदा बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) चालानों को किसी तिमाही के पहले दो महीनों में एक आईएफएफ (इनवॉइस फाइलिंग सुविधा) में अपलोड करने का विकल्प चुन सकते हैं जो प्राप्तकर्ता को ऐसी आपूर्तियों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

*****